भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2188

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण,1946 (शक) को दिया जाएगा)

'जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर लगाया गया सेवा कर'

2188. **श्री सु. वेंकटेशनः**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर लगाए गए सेवा कर के बारे में बात आई है, जिससे ग्राहकों पर भारी बोझ पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उद्योग की ओर से सेवा कर वापस लेने की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार के रुख का औचित्य क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) : जीएसटी के दिनांक 01.07.2017 से लागू होने के पश्चात् से ही जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी की दरों और रियायतों को जीएसटी परिषद की अनुशंसाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जोकि एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों से प्रतिनिधि शामिल होते हैं। समाज के गरीब तबकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ बीमा योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जनआरोग्य बीमा पॉलिसी और निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना को जीएसटी से छूट दी गई है।

(ख) तथा (ग) : जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी की दरों में कमी करने या छूट दिये जाने के अनुरोध वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ): जीएसटी की दरों और रियायतों को जीएसटी परिषद की अनुशंसाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जोकि एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों से प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

******